

समाहरणालय, चतरा । (राजस्व शाखा)

पत्रांक...../रा0

दिनांक.....

प्रेषक,

उपायुक्त,
चतरा ।

सेवा में,

महाप्रबंधक, सी0सी0एल0,
मगध-आम्रपाली, टण्डवा ।

विषय:- चतरा जिलान्तर्गत अंचल-टण्डवा में NBCC Road निर्माण एवं कोल खनन हेतु वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रेषण ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक चतरा जिलान्तर्गत अंचल-टण्डवा में NBCC Road निर्माण एवं कोल खनन हेतु वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत Form-II एवं जंगल झाड़ी भूमि का सैद्धान्तिक अनापत्ति प्रमाण पत्र को इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जाता है ।

अनुलग्नक:-यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

६१-

उपायुक्त
चतरा ।

ज्ञापांक...४२५...../रा0

दिनांक-...10/07/18.....

प्रतिलिपि:- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, दक्षिणी वन प्रमण्डल, चतरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि:- आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि:- सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित ।



उपायुक्त,
चतरा ।

FORM-II
(For projects other than linear projects)
Government of Jharkhand
Office of the District Collector, Chatra

No.. 833

Dated... 1.0.7.10

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No.11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 651.16 hectare (1609.02 acres) of forest land proposed to be diverted in favour of **General Manager, CCL Magadh-Amrapali for Construction Of NBCC Road and Coal Mining in Chatra district** falls within jurisdiction of **Kamta, Kumrang khurd, Masilong, Binglat, Kumrang kalan, Udsu, Kundi, Develgada, Kudlonga, Saradhu & Honhe** villages in Tandwa tehsil.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 651.16 hectare (1609.02 acres) hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to annexure II.
- (b) the proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who eligible under the FRA;
- (c) the each of concerned Gram Sabha(s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed division. A copy of certificate issued by the gram sabha of **Kamta, Kumrang khurd, Masilong, Binglat, Kumrang kalan, Udsu, Kundi, Dewelgada, Kudlonga, Saradhu & Honhe** villages enclosed as annexure I
- (d) the discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;
- (e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;
- (f) the rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.

Encls.: As above.


Jitendra Kumar Singh

समाहरणालय, चतरा।

(राजस्व शाखा)

सं० 834

दिनांक 10.7.18

प्रमाण-पत्र

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या-5/स0भू0 लातेहार-1/2010 1817/रा0 राँची दिनांक-30.04.2015 द्वारा झारखण्ड राज्यान्तर्गत विभिन्न सरकारी विभागों/कम्पनियों/प्रतिष्ठानों/उद्यमों/ऐजेन्सियों/निगमों/बोर्ड द्वारा एक परियोजना के अंतर्गत गैरमजरुआ Deemed Forest भूमि (जंगल-झाड़ी), जंगल सखुआ, जंगल इत्यादि के वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अपयोजन से संबंधित मार्गदर्शिका निर्गत किया गया है।

एतद आलोक में गैरमजरुआ Deemed Forest भूमि (जंगल-झाड़ी), जंगल सखुआ, जंगल इत्यादि जो जिला-चतरा, अंचल-टण्डवा के अंतर्गत निम्नांकित भूमि का सैद्धांतिक रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है:-

क्र०	अंचल	गौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	कुल रकबा (एकड़ में)	भूमि का किस्म
1	2	3	4	5	6	7	8
1	टण्डवा	कामता	60	104	934 935	2.16 ✓	गैरमजरुआ खास जंगल-झाड़ी
2	टण्डवा	कुमरांगखूर्द	51	36	1 2 10 207P 211 P	2.70 46.35 7.01 17.79 0.59	74.44 गैरमजरुआ खास जंगल-झाड़ी
3	टण्डवा	मासीलौंग	61	1	69P 312P 320P	1.30 1.05 0.08	2.43 गैरमजरुआ खास जंगल-झाड़ी
4	टण्डवा	विंगलात	49	46	1 2 22 38	2.37 4.81 0.56 0.76	8.5 गैरमजरुआ खास जंगल-झाड़ी
5	टण्डवा	कुमरांगकला	52	116	115 455 520 521 530 552 554	4.07 1.11 16.30 10.20 15.24 19.66 3.60	70.18 गैरमजरुआ खास जंगल-झाड़ी
6	टण्डवा	पड़सू	54	51 51 51 38 51	195 196 264 298 328 360	5.04 32.34 29.70 9.53 0.61 3.21	80.43 गैरमजरुआ खास जंगल-झाड़ी
7	टण्डवा	कुण्डी		37	1P 14 242P	3.50 9.15 0.46	13.11 गैरमजरुआ खास जंगल-झाड़ी
8	टण्डवा	देवलगड़ा		27	7 235 242 247	0.47 ✓ 1.29 0.04 1.61	3.41 गैरमजरुआ खास जंगल-झाड़ी

Vnadhikar Samati Noc

				438	0.05	
				443	3.02	
				448	13.57	
				481 P	0.62	
				484 P	2.30	
				485 P	8.36	
				486 P	11.11	
				526	12.77	
				537	15.50	
				541	13.25	
				553	2.62	
				559	1.19	
				563	4.49	
				590	13.48	
				699	0.30	
9	टण्डवा	सरादू	278	706 P	16.65	गैरमजरुआ खास जंगल-झाड़ी
				719	11.25	
				752	15.00	
				796 P	7.20	
				804	12.25	
				821	0.03	
				485 P	0.76	
				484 P	0.38	
				875 P	0.05	
				874	8.61	
				1706	0.28	
				1707 P	30.40	
				1708 P	49.50	
				1731 P	0.59	
				436 P	5.00	
				278 P	23.50	
10	टण्डवा	होन्हे	84	721	2.24	गैरमजरुआ खास जंगल-झाड़ी
				724	1.68	
				879 P	0.69	
				799 P	1.53	
				724 P	0.32	
				649 P	0.39	
				572 P	0.71	
				कुल-	546.30	544.14

उपरोक्त भूमि अधिसूचित वन भूमि तथा संरक्षित वन भूमि से बाहर है, महाप्रबंधक, CCL, मगध-आम्रपाली को NBCC Road निर्माण एवं कोल खनन हेतु सैद्धांतिक रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त पर दी जाती है कि:-

- माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाय।
- पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात् इसके विधिवत हस्तान्तरण हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा गैरमजरुआ भूमि के हस्तान्तरण की प्रक्रिया की तरह प्रस्ताव समर्पित किया जायेगा।
- गैर मजरुआ जंगल झाड़ी (Deemed Forest) भूमि के सशुल्क हस्तांतरण/लीज बन्दोबस्ती हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्यादेश निर्गत किया जायेगा।


उपायुक्त,
चतरा।

कार्यालय :- अंचल अधिकारी, टण्डवा।

Email ID - tandwa.co@gmail.com

पत्रांक.....330

दिनांक.....19/04/18

प्रेषक,

अंचल अधिकारी,
टण्डवा।

प्रेषित,

महाप्रबंधक
मगध अम्रपाली क्षेत्र
टण्डवा।

विषय :-

एनबी0सी0सी0 रोड निर्माण एवं कोयला खनन हेतु किये गये ग्राम सभा का मूल प्रति/सत्यापित छाया प्रति का अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषण।

प्रसंग :-

भवदीय पत्रांक-1020/रा0 दिनांक 30.01.18 एवं इस कार्यालय के पत्रांक-135 दिनांक-10.02.18

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि विषयांकित प्रसाधिन पत्र के आलोक में कुल 10 ग्रामों का ग्राम सभा विभिन्न तिथियों में करायी गई है। जिसका मूल प्रति/सत्यापित प्रति अग्रेतर कार्रवाई हेतु इस पत्र के साथ प्रेषित किया जाता है तथा ग्राम राहम का ग्राम सभा की प्रति पूर्व में ही प्रेषित किया जा चुका है।

विश्वासभजन,

अंचल अधिकारी,
टण्डवा।

वन अधिकार समिति, कुमठागपुर की बैठक की कार्यवाही

दिनांक- 16.2.18 को पूर्वाह्न 11.00 बजे वन अधिकार समिति, कुमठागपुर

प्रखण्ड- टण्डवा की बैठक ग्राम- कुमठागपुर में आयोजित की गई, जिसमें ग्रामस्थों के विस्तारीकरण परियोजना हेतु ग्राम- कुमठागपुर धाना संख्या 51 निम्नांकित आरक्षित वन भूमि से संबंधित प्रस्ताव पर चर्चा की गई।

धाना नं०	अध्यायना में याचित की गई भूमि का विवरणी (सर्वे 1934-35 के अनुसार)				हाल सर्वे 1984 के अनुसार अर्जन क्षेत्र में पडने वाले संगत (Corresponding) प्लॉट एवं भूमि विवरणी					
	प्लॉट नं०	रकबा (ए०मे०)			खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा (ए०मे०)			खतियानी रैयत का नाम
		RF	PF	J.J			पूर्व से सडक में निहित रकबा	वर्तमान में अर्जित योग्य	कुल	
51	1		6.83	1.09						
	2		22.28	18.76						
	3		19.98							
	4		6.49							
	10		4.69	2.84						
	207 P		29.25	7.20						
	208 P		22.16							
	209 P		2.43							
	211 P		0.85	0.24						

कुल रकबा 114.96 Ha 3043 Ha

1. उपस्थिति-

अंचल अधिकारी
टण्डवा

2. सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम- कुमठागपुर में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम, 2006 के नियम 2008 एवं संशोधित अधिनियम, 2012 के अंतर्गत settlement of rights की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है।

3. सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम- कुमठागपुर में आदिम जनजाति समूहों एवं आदिम कृषक समुदाय के अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन

अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा-31 (1)(c) के अनुसार विशेष रूप से रक्षित किया गया है।

4. सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ~~कुमडांग बुझी~~ में वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) के तहत प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है।

5. सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि ~~भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-~~ के विस्तार हेतु ग्राम ~~कुमडांग बुझी~~ थाना सं. 51 के ऊपर लिखित आरक्षित वन भूमि के अपयोजन में ग्राम वन अधिकार समिति ~~कुमडांग बुझी~~ को कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम वन अधिकार समिति, ~~कुमडांग बुझी~~ के सदस्यों का हस्ताक्षर

नाम


अंचल अधिकारी
टण्डवा

हस्ताक्षर/अंगुठे का निशान

जगदीश प्रसाद साहू

लाल कुमार

हेमलाल साहू

भिमोक्त साहू

दिनेश साहू

गोविंद कुमार साहू

Deepak Kumar

इन्द्रदेव साहू

आदित्य साहू

Satish Kumar

सुमित कुमार

चित्ररंज कुमार

दुर्गा साहू

लाली मुखर्जी

रामलखन साहू

Badam Kumar

हेमराज साहू

केशव साहू

मिथिलान साहू

जगलाल साहू

विष्णु मुखर्जी

सविश प्रसाद

10-7-0

१०
कोलेकर साहू
कुंजल साहू
राममन्दन कामु
अश्विनी साहू
गन्दीरी साहू
पियन साहू
किशुन साहू
दामोदर साहू
महेश्वर साहू
रविन्दर कुमार
अश्विनी कुमार साहू
रघुवीर साहू
सिना राम साहू
अमित कुमार
सुनल कुमार साहू
जो विन्द साहू
नरेश प्रसाद

वेबसाइट की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत (1)(c) के अनुसार विशेष रूप से रक्षित किया गया है।

4. सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम- विठ्ठलपुर में वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) के तहत प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है।
5. सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि NBCC राई एवं मूल वन के भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- के विस्तार हेतु ग्राम- विठ्ठलपुर थाना राई-19 के ऊपर लिखित आरक्षित वन भूमि के अपयोजन में ग्राम वन अधिकार समिति विठ्ठलपुर को कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम वन अधिकार समिति, विठ्ठलपुर के सदस्यों का हस्ताक्षर

नाम

Pradeep Kumar
Mehesh Kumar
गणेश 619-
राजेश 514
Hemant Kumar
midhun G. Singh
भारवन उरांव
विजय अंन
अंनू देवी
धनेश्वर उरांव
Lavkush das
रंजित राम
हंसी राम
पञ्च राम
Omprakash
Sankar
Rajendra
अमल ना दास

हस्ताक्षर/अंगुठे का निशान

Pradeep Kumar
Dipu Kumar
गणेश
राजेश राम
पञ्च राम
Anil Kumar
गणेश नाव
समश पाखान


 अंचल अधिकारी
 टण्डवा

वन अधिकार समिति, कुमड़ाग कला की बैठक की कार्यवाही

दिनांक- 15.2.2018 को पूर्वाह्न 11.00 बजे वन अधिकार समिति

प्रखण्ड- टण्डवा की बैठक ग्राम- कुमड़ाग कला में आयोजित की गई, जिसमें ~~भारतीय राष्ट्रीय~~ ~~राज्य सरकार~~ के विस्तारीकरण परियोजना हेतु ग्राम कुमड़ाग कला थाना संख्या 58 निम्नांकित आरक्षित वन भूमि से संबंधित प्रस्ताव पर चर्चा की गई।

धाना नं०	अधियाचना मे याचित की गई भूमि का विवरणी (सर्वे 1934-35 के अनुसार)				हाल सर्वे 1964 के अनुसार अर्जन क्षेत्र में पडने वाले संगत (Corresponding) प्लॉट एवं भूमि विवरणी					खतियानी रैंयत का नाम
					खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा (ए०मे०)			
	पूर्व से सडक में निहित रकबा	वर्त्तमान में अर्जित योग्य	कुल							
				प्लॉट ना०			रकबा (ए०मे०) (Ha)			
		RF	PF	J.J						
52	115		5.81	1.65						
	455			0.45						
	520		13.64	6.60						
	521			4.13						
	530		5.97	6.17						
	552		0.01	7.96						
	554			1.46						

1. उपस्थिति-

- महावीर दाव
- मुनीन्द्र दाव
- अशोक कुमार
- लीला देवी
- रंजन कुमार
- विवेक कुमार

ज्ञानत दीवी
मिली दीवी
मनोज कुमार

अंचल अधिकारी
टण्डवा

- सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कुमड़ाग कला अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम, 2006 के नियम 2008 एवं संशोधित अधिनियम, 2012 के अंतर्गत settlement of rights की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है।
- सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कुमड़ाग कला में आदिग जनजाति समूहों एवं आदिम कृषक समुदाय के अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन

अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (1)(c) के अनुसार विशेष रूप से रक्षित किया गया है।

4. सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम-~~कुमड़ा~~ में वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) के तहत प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है।
5. सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि ~~भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग~~ ^{NBCC राई एवं काला} के ~~विस्तार~~ ^{संरक्षण} हेतु ग्राम-~~कुमड़ा~~ ^{थाना राई} के उमर लिखित आरक्षित वन भूमि के अपयोजन में ग्राम वन अधिकार समिति ~~को कोई आपत्ति नहीं है।~~

ग्राम वन अधिकार समिति, ~~कुमड़ा~~ के सदस्यों का हस्ताक्षर

हस्ताक्षर/अंगुठे का निशान

नाम

रूप कुमारी
परशुराम चौधरी

कुमड़ा

जय राम ठाकुर

रामेश्वर ठाकुर

Ram Jaiswar

Ajay Kumar

Giray Kumar

परशुराम

देवकी राम

नागदेव ठाकुर

मंजु देवी

विधिप राम

जय देव ठाकुर

राजू खान

नरेश राम

महेन्द्र आव

सरोज कुमार
विपक कुमार
कंचन दास
कमल कुमार दास
नेतलाल ठाकुर

अंचल अधिकारी
टण्डवा

वन अधिकार समिति, उड्डु की बैठक की कार्यवाही

दिनांक- 19.2.2018

प्रखण्ड- उड्डु की बैठक ग्राम- उड्डु में आहुत की गई, जिसमें NBCC राज्य के विस्तारीकरण परियोजना हेतु ग्राम उड्डु थाना संख्या 54 निम्नांकित आरक्षित वन भूमि से संबंधित प्रस्ताव पर चर्चा की गई।

थाना नं०	अधियाचना में याचित की गई भूमि का विवरणी (सर्वे 1934-35 के अनुसार)				हाल सर्वे 1964 के अनुसार अर्जन क्षेत्र में पडने वाले संगत (Corresponding) प्लॉट एवं भूमि विवरणी						
					खाता नं०	प्लॉट नं०	रकवा (ए०मे०)			किस्म	खतियानी रैयत का नाम
	प्लॉट नं०	रकदा (ए०मे०) (Hq)					पूर्व से सडक में निहित रकवा	वर्तमान में अर्जित योग्य	कुल		
		RF	PF	J.J (Hq)							
54	195			2.04							
	196			13.09							
	264			12.02							
	298			3.86							
	328			0.25							
	360			1.30							

1. उपस्थिति-

- ① नागा उर्राव
- ② बंधन मुद्दुप
- ③ फागुडा
- ④ समन उर्राव
- ⑤ समन उर्राव
- ⑥ समन पादु
- ⑦ समन पादु

- ⑧ केजय देवी
- ⑨ सुरेश पासवान
- ⑩ मन्दीव उर्राव

अंचल अधिकारी
टण्डवा

2. सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम- उड्डु में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम, 2006 के नियम 2008 एवं संशोधित अधिनियम, 2012 के अंतर्गत settlement of rights की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है।
3. सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम- उड्डु में आदिम जनजाति समूहों एवं आदिम कृषक समुदाय के अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन

अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा-3। (1)(c) के अनुसार विशेष रूप से रक्षित किया गया है।

4. सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम-उडख में वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) के तहत प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है।
5. सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि ~~भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-~~ ^{NCC रोड का वन भूमि} के विस्तार हेतु ग्राम-उडख थाना सं. 54 के ऊपर लिखित आरक्षित वन भूमि के अपयोजन में ग्राम वन अधिकार समिति उडख को कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम वन अधिकार समिति, उडख के सदस्यों का हस्ताक्षर

नाम

हस्ताक्षर/अंगुठे का निशान

- 1) दीर्घ 3 रॉव
- 2) जांगा 3 रॉव
- 3) राजेश 3 रॉव
- 4) रमन पासवन
- 5) मनोज 3 रॉव
- 6) विनोद 3 रॉव
- 7) शरणा 32 व
- 8) सुनली 32 व
- 9) जगज्जो 32 व
- 10) चरु कु 32 व
- 11) मिर्ला 32 व
- 12) राम 32 व
- 13) खपन पासवन

अंचल अधिकारी
टण्डवा

अमदी मुरापो-
रूपमाम पासवन

ग्राम सभा
NBCC रौंड निर्माण एवं कोल खनन हेतु ग्राम सभा

आज दिनांक 4.1.2017 को ग्राम रौन्ड में FRA & NOC को लेकर ग्राम सभा आयोजित की गयी। वन अधिकार नियम के तहत ग्राम सभा को जरूरत पड़ती है इसलिए यह बैंक आयोजित की गई है, बैंक में वनभूमि व जंगलदांडी भूमि का अनापति प्राप्त करने के संदर्भ में चर्चा की गई। अचलाधिकारी टंडवा के प्रताप 1384 दिनांक 28.12.16 के आदेश के आलोक में आप्रणाली परियोजना एवं आप्रणाली परियोजना में NBCC रौंड के लिए वनभूमि एवं जंगलदांडी भूमि के स्थानान्तरण हेतु FRA 2006 के तहत FRA, NOC एवं STAFFED Act 2006 के तहत ग्राम सभा की पुष्पण पासवान मुखिया की अध्यक्षता में की गई एवं बैंक में निम्नलिखित व्यक्तियों में भाग लिया।

नवीन कुमार

ओमप्रकाश खन

दीपक कुमार

मुदेश्वर मुखिया-

के के सिंह

मनोज कुमार

संयम कुमार

अंचल अधिकारी
टण्डवा

मोहन कुमार मुखिया

मोहन कुमार मुखिया

अमृत चौधरी

अमृत चौधरी

अमृत चौधरी

विजय प्रसाद

महेन्द्र प्रसाद

जो ठो गी म्

इमोहन चौधरी

अमृत चौधरी

अमृत चौधरी

अमृत चौधरी

अमृत चौधरी

अमृत चौधरी

अमृत चौधरी

अमृत चौधरी

अधिमात्रा में माचिर की गई भूमि का विवरण	प्लॉट नं.	वनभूमि (एकड़) (हेक्टर)	जंगल झाड़ी (एकड़) (हेक्टर)
50	274	15.72	
	651	3.25	
	721	4.50	0.91
	722	18.79	
	724	3.80	0.68
	855	3.39	
	856	9.84	
	874	4.99	
	875	22.07	
	876	5.27	
	877	27.93	
	878	2.33	
	879 P		0.28
	799 P		0.62
	724 P	0.53	0.13
	875 P	0.92	
	876 P	1.82	
	845	0.15	
	651 P	0.28	
	649 P	0.04	0.16
	572 P		0.29
	कुल रकबा	125.62 हेक्टर	3.07 (हेक्टर)



प्रमोदशर्मा - 15-11

गोमनाथ

हुआ 21 साल

दो ठेका में भोगा

साईन यारव

आ 21 दि की

On 21st day

सब भुगत

Rowan's jersey

1 नवम्बर 2015

अंचल अधिकारी
टण्डवा